

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2007 सत्र

मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2007

तारांकित प्रश्नोत्तर

बस्तर के बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें

1. (*क्र. 204) मोहम्मद अकबर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला दक्षिण बस्तर तहसील दन्तेवाड़ा के बैलाडीला डिपॉजिट 3 समूह क्षेत्र हेतु कितने-कितने क्षेत्र के लिए किसके-किसके पक्ष में लौह अयस्क खनन के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/खनिज पट्टा के लिए प्रस्तुत आवेदनों को स्वीकृत कर भारत सरकार को अनुशंसा के साथ स्वीकृति हेतु किसके आदेश से प्रेषित किया गया है ? प्रकरणों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : राज्य शासन द्वारा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की तहसील दन्तेवाड़ा स्थित बैलाडीला डिपॉजिट-3 समूह के 2285.00 हेक्टर क्षेत्र पर मेसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड के पक्ष में खनिज लौह अयस्क की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) के तहत पूर्वानुमोदन हेतु भारत सरकार, खान मंत्रालय को प्रस्ताव दिनांक 10-11-2006 को भेजा गया था। खान मंत्रालय, भारत सरकार से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन पत्र दिनांक 28-12-2006 द्वारा प्राप्त हो गया है। आवेदित भूमि वन भूमि होने से आवेदक कंपनी को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-63/2006/12, दिनांक 31-1-2007 द्वारा लेख किया गया है।

जनपद पंचायतों को वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत राशि

2. (*क्र. 41) श्री त्रिलोचन पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-2007 में जिला महासमुंद, रायपुर, दुर्ग एवं रायगढ़ में जनपद पंचायतों द्वारा कितनी-कितनी राशि का वृक्षारोपण किया गया है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) कीडका "क" के अनुरूप संपादित वृक्षारोपण की उत्तर जीविका के लिए क्या-क्या उपाय किए गए ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) वर्ष 2006-2007 में जिला महासमुंद, रायपुर, दुर्ग एवं रायगढ़ में जनपद पंचायतों द्वारा कुल राशि रुपये 131.874 लाख का वृक्षारोपण किया गया है। जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जिले का नाम	व्यय राशि (लाख रुपये में)
1.	महासमुंद	-
2.	रायपुर	24.777
3.	दुर्ग	44.772
4.	रायगढ़	62.325
योग		131.874

(ख) कीडका "क" के अनुरूप संपादित वृक्षारोपण की उत्तर जीविका के लिए टारफेंसिंग, कटीले पौधों से घेरा तथा पशु अवरोधक ट्रेच खुदाई आदि कार्य किये गये हैं।

50 बिस्तर वाले चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाएं एवं स्टाफ

3. (*क्र. 53) श्री मोतीलाल देबांगन : क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 50 बिस्तर वाले अस्पतालों में क्या-क्या सुविधाएं एवं कौन-कौन से विशेषज्ञ (डॉक्टरों) की नियुक्ति एवं कितने कर्मचारियों की पदस्थापना की जाती है ? (ख) क्या चांगा स्थित शासकीय बी.डी.एम. चिकित्सालय का उन्नयन कर 50 बिस्तर किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल में कितने विशेषज्ञ (डॉक्टर) एवं कर्मचारी पदस्थ किए गए हैं एवं क्या-क्या सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) एक्स-रे, पैथोलॉजी, प्रसूति, सर्जरी, आर्थोपेडिक, गायनिक, पेईगवार्ड, एम्बुलेन्स, आंतरिक रोगी, बाह्य रोगी एवं आपातकालीन चिकित्सा. दो विशेषज्ञ (डॉक्टर) एवं 34 कर्मचारी. (ख) जी. हां. 2 पोस्ट ग्रेजुएट, एवं 3 चिकित्सा अधिकारी एवं 21 अन्य चिकित्सा कर्मचारी. एक्स-रे, पैथोलॉजी, प्रसूति, सर्जरी, आर्थोपेडिक, गायनिक, पेईगवार्ड, एम्बुलेन्स, आंतरिक रोगी, बाह्य रोगी एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं.

"नवा अंजोर" कार्यक्रम हेतु विकासखण्डों के चयन का मापदण्ड

4. (*क्र. 98) महन्त रामसुन्दर दास : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित नवा अंजोर कार्यक्रम के तहत राज्य शासन को केन्द्र शासन से कितनी राशि वर्षवार योजना के प्रारंभ से 27-01-2007 तक प्राप्त हुई है ? (ख) प्रदेश में संचालित नवा अंजोर कार्यक्रम के लिये विकासखण्डों के चयन का मापदण्ड क्या है ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) प्रदेश में संचालित "नवा अंजोर" (छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन) परियोजना को केन्द्र शासन से कोई राशि प्राप्त नहीं होती है. परियोजना क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा विश्व बैंक से ऋण लिया गया है जिसे राज्य शासन द्वारा राज्य बजट में राशि का प्रावधान कर व्यय किया जाता है. विश्व बैंक, व्यय राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के माध्यम से करती है. विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार के माध्यम से की गयी प्रतिपूर्ति राशि का विवरण वर्षवार इस प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष	प्रतिपूर्ति राशि
2004-05	₹. 22.71 लाख
2005-06	₹. 2859.20 लाख
2006-07 (माह दिसंबर तक)	₹. 5536.07 लाख
कुल	₹. 8417.98 लाख

(ख) नवा अंजोर परियोजना अंतर्गत विकासखण्डों के चयन का आधार † संलग्न परिशिष्ट पर है.

बिजली बिल जमा न करने के कारण ग्रामीणों का काटा गया विद्युत कनेक्शन

5. (*क्र. 266) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2006 से दिनांक 24 जनवरी 2007 के मध्य जिला कवर्धा, जिला-विलासपुर, जिला जांजगीर-चांपा एवं जिला कोरबा में बिजली बिल नहीं पटाने के कारण कौन-कौन से गांवों की संपूर्ण बिजली काट दी गई है ? ऐसे गांवों का नाम जिलेवार, विकासखण्डवार बताने का कष्ट करें एवं कितनी राशि बकाया है ? ग्रामवार बताने का कष्ट करें ? (ख) प्रश्नांश "क" में पूछे गए गांवों में विद्युत लाईन काटने के पूर्व क्या विद्युत मण्डल के अधिकारी/कर्मचारियों ने संबंधित ग्रामवासियों की बैठक लेकर उन्हें विद्युत बिल भुगतान करने हेतु समझाईश दी थी ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव में कब-कब बैठक की गयी ? (ग) क्या यह सत्य है कि शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक गांव में घरेलू कनेक्शन एवं पौखर कनेक्शन, द्यूबवेल, मिल आदि के लिए अलग-अलग विद्युत लाईन बिछाने की योजना है ? यदि हां, तो प्रश्नांश "क" में पूछे गए जिलों में कौन-कौन से गांवों में 24 जनवरी, 2007 तक यह कार्य कर लिया गया है ? गांवों के नाम सहित विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रामन सिंह) : (क) 01 जनवरी 2006 से 24 जनवरी 2007 की अवधि में अधिकांश विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण कवर्धा जिले के 33 ग्रामों एवं जांजगीर-चांपा जिले के 15 ग्रामों की बिजली पूर्णतः काट दी गई है. जिलेवार एवं विकासखण्डवार

इन ग्रामों के नाम तथा बकाया राशि की जानकारी + संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है। बिलासपुर एवं कोरबा जिले के किसी सम्पूर्ण ग्राम की बिजली उक्त कारणों से नहीं कटी है। (ख) जी हां, संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त ग्रामों में उपभोक्ताओं की बैठक लेने/उन्हें समझाईश देने की दिनांक भी + संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है। (ग) प्रदेश में ग्रामों के रिहायशी क्षेत्रों एवं पम्प कनेक्शनों को अलग-अलग 11 केव्ही लाईनों से विद्युत प्रदाय किये जाने की योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत उक्त जिलों में अभी किसी ग्राम का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक मीटर की सप्लाई

6. (*क्र. 29) श्री देवजी भाई पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा विद्युत मापन हेतु विभिन्न फर्मों कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक मीटर सप्लाई करने के आदेश विगत 02 वर्ष के अन्तराल में दिए गए हैं ? यदि हां, तो अनुबन्ध की शर्तें क्या हैं ? (ख) कंडिका "क" की कंपनियों का चयन किस आधार पर किया गया ? इनके द्वारा कितने-कितने इलेक्ट्रॉनिक मीटर, किस-किस क्षमता के और किस-किस दर पर सप्लाई किया जाना है ? (ग) क्या सप्लाई किये गये इलेक्ट्रॉनिक मीटर में खामियां पाई गई, अगर हां, तो क्यों ? इस हेतु किस-किस स्तर के अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) इलेक्ट्रॉनिक मीटर सप्लाई का आदेश विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। तथापि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा निम्न छः फर्मों/कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक मीटर के क्रय हेतु आदेश विगत 02 वर्षों में जारी किए गए हैं :-

1. मेसर्स सिक्योर मीटर लिमिटेड, उदयपुर.
2. मेसर्स एल. एंड टी. लिमिटेड, मुंबई.
3. मेसर्स एमको लिमिटेड, ठाणे.
4. मेसर्स टी. टी. एल. लिमिटेड, नोएडा.
5. मेसर्स जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जयपुर.
6. मेसर्स बी. एच. ई. एल., रायपुर.

मीटर की खरीद हेतु जारी क्रयादेश में मुख्यतः मीटर की गुणवत्ता, गुणवत्ता की पुष्टि हेतु परीक्षण, मीटरों का सप्लाई के पूर्व निरीक्षण, सप्लाई किए गए मीटरों की गारंटी, निर्धारित अवधि में मीटर सप्लाई न करने पर जुर्माना, सुरक्षा निधि आदि से संबंधित शर्तें हैं। (ख) कंडिका "क" की कंपनियों का चयन प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बुलाई गई खुली निविदा के आधार पर किया गया है। इन फर्मों को सप्लाई हेतु दिए गए आदेशों के अनुसार मीटरों की संख्या, क्षमता और दरों का विवरण ++ संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है। (ग) जी हां, कुछ मीटरों में खराबी पाई गई थी। तथापि क्रयादेश की शर्तों के अनुसार गारंटी अवधि में मीटर के खराब होने पर कंपनियों द्वारा मीटर में आई खराबी को सुधारा जाता है अथवा खराब मीटर को वापस लेकर नया मीटर दिया जाता है। उक्त शर्तों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। अतः किसी अधिकारी पर जिम्मेदारी तय करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में चिकित्सकों के स्वीकृत पद

7. (*क्र. 193) श्री महेन्द्र कर्मा : क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राजपत्रित एवं अराजपत्रित डॉक्टरों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? (ख) कार्यरत चिकित्सकों में से कितने चिकित्सक परीविक्षाधीन अवधि पर हैं ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) एवं (ख) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन

8. (*क्र. 88) श्री उदय मुदलियार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में 25 जनवरी, 2007 तक कुल कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई और जिलेवार कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया ? (ख) 25 जनवरी, 2007 तक कुल कितने लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम दिया गया ? माहवार एवं जिलेवार संख्या बतावें ? (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने जाब कार्ड बनाये गये ? जिलेवार संख्या दें ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चन्दावर) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से राशि सीधे जिलों को प्राप्त होती है, वर्ष 2006-07 में 25 जनवरी, 2007 तक जिलेवार प्राप्त राशि का विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है। (ख) 25 जनवरी 2007 तक कुल 7,78,764 लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम दिया गया, माहवार एवं जिलेवार संख्या † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है। (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 18,15,058 जॉब कार्ड बनाये गये, जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "स" पर दर्शित है।

प्रदेश में एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन

9. (*क्र. 200) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जिलेवार कितने-कितने एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन पंजीकृत हैं? कितने-कितने में मीटर लगाया जा चुका है? (ख) प्रति एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन पर मीटर में एवं बिना मीटर वाले में किस-किस दर से माहवारी या तिमाही बिलिंग किया जा रहा है? (ग) किस तिथि तक एकल बत्ती बिजली निःशुल्क दिया जा रहा था और कब से उपभोक्ताओं को बिल देना शुरू किया गया? (घ) एकल बत्ती विद्युत कनेक्शन पर विद्युत शुल्क की माफी किस तिथि से किये जाने का निर्णय लिया गया है, एवं कुल कितनी राशि प्रदेश में माफ की गयी है?

मुख्यमंत्री (डॉ. रामन सिंह) : (क) 31 जनवरी 2007 की स्थिति में प्रदेश में कुल 8,45,254 एकल बत्ती (वर्तमान में बी. पी. एल. के नाम से) कनेक्शन हैं जिनमें से 2,39,346 कनेक्शनों में मीटर लगाए जा चुके हैं, जिलेवार संख्या †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है। (ख) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार 01 जुलाई 2005 से मीटर वाले बी. पी. एल. (एक बत्ती) कनेक्शनों के वास्तविक खपत (अधिकतम 30 यूनिट तक) के लिए 1.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से तथा बिना मीटर वाले कनेक्शनों के लिए 50 रुपये प्रतिमाह प्रति कनेक्शन की दर से बिलिंग की जाकर उनमें निःशुल्क 120 वॉट तक के विद्युत भार के लिये 15 यूनिट विद्युत खपत के बिल की राशि 22.50 रुपये की छूट देकर शेष राशि का माहवारी/तिमाही बिल जारी किया जा रहा है। (ग) फरवरी 1994 से जून 2005 तक एक बत्ती कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को 40 वॉट के एक बल्ब के लिये निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा था, तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार 01 जुलाई 2005 से एक बत्ती कनेक्शन के स्थान पर बी. पी. एल. कनेक्शन (अधिकतम 120 वॉट तक के विद्युत भार) के लिए उपरोक्तानुसार बिल देना प्रारंभ किया गया है। (घ) विद्युत मण्डल की मांग अनुसार एक बत्ती कनेक्शनों पर 01 जुलाई 2005 से कुल बकाया राशि 14 करोड़ 31 लाख 65 हजार रुपये का भुगतान राज्य शासन द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है।

दीर्घकालीन विद्युत प्रदाय अनुबंधधारी विद्युत उत्पादकों से बिजली खरीद की दर

10. (*क्र. 110) **श्री भूपेश बघेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन ने दीर्घकालीन विद्युत प्रदाय अनुबंधधारी विद्युत उत्पादकों से बिजली खरीद की दर बढ़ायी है? (ख) यदि हां, तो राज्य शासन के उपरोक्त निर्णय से कितना विद्युत भार अतिरिक्त पड़ेगा? (ग) क्या वर्तमान में बिजली की दर कोयला आधारित संयंत्रों के लिये अधिक और गैर पारंपरिक स्रोत के लिये कम है? यदि हां, तो क्या यह केन्द्रीय नीति का उल्लंघन नहीं है?

मुख्यमंत्री (डॉ. रामन सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तर "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के पूर्व में किये गये अनुबंधों के कारण गैर पारंपरिक स्रोत आधारित विद्युत संयंत्र मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड, सिस्मिटी, बिलासपुर एवं मेसर्स इण्डो लहरी बायो पावर लिमिटेड, रायपुर की विद्युत प्रदाय दर, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड रायगढ़ की दरों से कम है, वर्तमान में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य विद्युत निषामक आयोग द्वारा गैर पारंपरिक बायोमास आधारित विद्युत संयंत्र जो कि दिनांक 01-04-2005 के बाद क्रियाशील होंगे, के लिये विद्युत दर निर्धारित की गई है जो कि दीर्घकालीन आधार पर कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिये लागू दर से अधिक है, अतः केन्द्रीय नीति के उल्लंघन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, दीर्घकालीन अवधि के लिये विद्युत क्रय हेतु दरों का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत निषामक आयोग/राज्य विद्युत निषामक आयोग द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनांतर्गत कार्यों की स्वीकृति

11. (*क्र. 11) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2006-07 में रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखण्डों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कुल कितने कार्य एवं कितनी राशि की स्वीकृति हुई है? विकासखण्डवार, पंचायतवार जानकारी दें? (ख) स्वीकृत कार्यों में दिनांक 27-01-2007 तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है? किये गये व्ययों में मजदूरी भुगतान एवं अन्य मदों में व्यय की जानकारी अलग-अलग बतावें? (ग) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में चालू है? यदि नहीं, तो ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या एवं नाम बतावें जहां कार्य नहीं चल रहे हैं?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) वर्ष 2006-07 में रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत विकासखंडवार तथा पंचायतवार स्वीकृत कार्यों एवं राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक में दर्शित है। (ख) स्वीकृत कार्यों में दिनांक 27-01-2007 तक कुल रुपये 1992.050 लाख की राशि व्यय की गई है। कुल व्यय राशि में से मजदूरी भुगतान पर रुपये 1211.779 लाख एवं अन्य मदों में रुपये 780.272 लाख व्यय किया गया है। (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रायगढ़ जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में लागू है। जिले के कुल 710 ग्राम पंचायतों में से 687 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्य चल रहे हैं। शेष 23 ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं चल रहे हैं उसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" में है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधा पदों की जानकारी

12. (*क्र. 85) श्री रविन्द्र चौबे : क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सारा, धान खमहरिया, परपोही, खण्डसरा में नये सेटअप में बोन-कौन से पद सुविधा है ? (ख) क्या पदों के मान से पदस्थापना की गई है ? (ग) क्या धान खमहरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ नर्स एवं लेब टेक्नीशियन के पद समाप्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) + संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कसडोल तथा बिलाईगढ़ विकासखण्ड के ग्रामों का विद्युतीकरण

13. (*क्र. 207) श्री राजकमल सिंघानिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसडोल तथा बिलाईगढ़ विकासखण्ड में वर्ष 2005 से 2006 तथा 2006 से दिसम्बर, 2006 तक कितने ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया ? (ख) वर्ष 2006-07 में विद्युत पोल तथा विद्युतीकरण के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) कसडोल तथा बिलाईगढ़ विकासखण्डों के अंतर्गत वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 में दिसम्बर 2006 तक कुल 56 ग्रामों में (ग्रामों के मजदूरों/टोलों/मुहल्लों में) विद्युतीकरण किया गया है। (ख) छ. रा. विद्युत मण्डल द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में विद्युतीकरण कार्यों हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की जाती है, अतः वित्तीय वर्ष में विभिन्न विद्युतीकरण कार्यों के लिये जिलेवार निर्धारित लक्ष्यों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के चयनित विद्युतीकरण कार्य कराए जाते हैं, तदनुसार वर्ष 2006-07 में 31 जनवरी 2007 तक उक्त विकासखण्डों के अंतर्गत कुल 673.57 लाख रुपये लागत के विभिन्न विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

इंदिरा आवास के लिए लाभान्वित परिवारों की संख्या

14. (*क्र. 212) श्री चुरावन मंगेशकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005-06 में बिलासपुर जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कितने लोगों को इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी है ? (ख) कोडिका "क" के अनुसार जराहागांव विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 28 में वर्ष 2006 में इंदिरा आवास कितने ग्राम पंचायत को स्वीकृत किया गया ? ग्राम पंचायतवार संख्या बतावे ?

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) : (क) वर्ष 2005-06 में बिलासपुर जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 2979 लोगों को इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गई है। (ख) कोडिका "क" के अनुसार जराहागांव विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 28 में वर्ष 2005-06 में कुल 355 इंदिरा आवास 115 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत किया गया। ग्राम पंचायतवार संख्या ++ संलग्न परिशिष्ट में है।

बाक्साइट खदानों हेतु विभिन्न फर्म/एजेंसी को कार्यों का आवंटन

15. (*क्र. 42) श्री त्रिलोचन पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकिर, बसारा एवं दन्तेवाड़ा में किस-किस फर्म/एजेंसी को बाक्साइट खदानों का ठेका दिया गया है ? (ख) कोडिका "क" की फर्म/एजेंसी द्वारा रायल्टी चोरी एवं बिजली चोरी अथवा बेनामी विद्युत कनेक्शन के कितने प्रकरण वर्ष 2006-07 में सामने आए हैं ? इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला कांकेर, बस्तर एवं दंतोवाड़ा में किसी भी फर्म/एजेंसी को बाक्ससाइट खदानों का "डेका" नहीं दिया गया है। जिला बस्तर एवं कांकेर में स्वीकृत बाक्ससाइट खनिपट्टे की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांश "क" में दर्शित खनिपट्टेधारियों के विरुद्ध विद्युत चोरी अथवा बेनामी विद्युत कनेक्शन के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं। रायल्टी चोरी के दर्ज प्रकरणों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र- "ब" पर दर्शित है।

चांपा विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मरों पर व्यय

16. (*क्र. 54) श्री मोतीलाल देवांगन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में चांपा विधान सभा क्षेत्र में कितने ट्रांसफार्मर खराब हुए ? इनमें से कितने ट्रांसफार्मर मरम्मत कराए गए तथा कितने बदले गए ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कितने नए नए ट्रांसफार्मर किस-किस क्षमता के चांपा विधान सभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ स्थापित किए गए ? इन पर कितनी राशि व्यय की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) चांपा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 2005-06 में खराब हुए सभी 112 वितरण ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं तथा वर्ष 2006-07 में 31 जनवरी 2007 तक खराब हुए 105 वितरण ट्रांसफार्मरों में से 98 ट्रांसफार्मर बदले गये हैं। खराब हुए ट्रांसफार्मरों में से किसी ट्रांसफार्मर को मरम्मत कर नहीं लगाया गया है। (ख) चांपा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में 31 जनवरी 2007 तक कुल 39 नये वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं, जिन पर स्वीकृत प्राकलन के अनुसार कुल 88.16 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इन ट्रांसफार्मरों की स्थापना का स्थान, एवं क्षमता की वर्षवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है।

जांजगीर-चांपा जिले में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत पद

17. (*क्र. 99) महन्त रामसुंदर दास : क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप-स्वास्थ्य केंद्र कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं ? स्थान का नाम सहित बतावें ? (ख) उक्त स्वास्थ्य केंद्रों में कहाँ-कहाँ कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने कार्यरत हैं ? कितने एवं कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं ? वर्षवार विवरण दें ? (ग) रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 247 उप-स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर दर्शित है। (ख) उक्त स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर दर्शित है। (ग) समय-समय बताना संभव नहीं है।

बाक्ससाइट उत्खनन के लिए बालको को दी गयी भूमि

18. (*क्र. 267) श्री परमजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कवर्धा जिले के बोडला विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम सेमसाटा, ग्राम दलदली, ग्राम रबदा, ग्राम केसमरदा और मुंडादादर गांव सहित कई अन्य बैगा आदिवासी बाहुल्य गांवों की बैगा आदिवासियों की लगभग छः सौ हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन कवर्धा द्वारा बालको (भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड) को बाक्ससाइट उत्खनन करने हेतु आदिवासियों की भूमि अधिग्रहित कर को दे दी गयी है ? यदि हां, तो यह अधिग्रहण कब किया गया, एवं बैगा आदिवासियों की भूमि बाक्ससाइट उत्खनन हेतु किन-किन शर्तों पर ली गई है ? उत्खनन हेतु कौन-कौन से गांवों में कितनी भूमि प्रदान की गयी है ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश "क" में पूछे गए अधिग्रहीत भूमि पर 01 जनवरी 2004 से बालको ने उत्खनन प्रारंभ कर दिया है और उत्खनन प्रारंभ करने के बाद भी बैगा आदिवासियों का व्यवस्थापन अभी तक नहीं किया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) कबीरधाम जिले के बोडला विकासखण्ड के ग्राम सेमसाटा, रबदा केसमरदा एवं मुंडादादर में बालको को 626.117 हेक्टेयर भूमि पर खनिज बाक्ससाइट का खनिपट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत खनिपट्टे के क्षेत्र में 310.350 हेक्टेयर शासकीय भूमि एवं 315.767 हेक्टेयर निजी भूमि है। निजी भूमि में बैगा आदिवासियों की भूमि के साथ-साथ अन्य कुशकों की निजी भूमि भी शामिल है। बालको हेतु अधिग्रहित की गई निजी भूमि का ग्रामवार विवरण एवं बालको को स्वीकृत खनिपट्टा में निजी भूमि के संबंध में लगाई गई शर्तों का विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है। उत्खनन हेतु प्रदान की गई भूमि का विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है। (ख) बालको को खनन प्रारंभ करने के लिए भू-प्रवेश हेतु दी गई अनुमति की तिथि का विवरण प्रश्नांश "क" के † संलग्न प्रपत्र "ब" की तालिका में कालम नं. 06 पर अंकित है। बाक्ससाइट खनन कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रदान की गई निजी

भूमि में कुल 12 (बारह) आदिवासियों की भूमि है तथा इन सभी 12 परिवारों को उनकी मांग के अनुसार जमीन के बदले जमीन तथा आवास हेतु प्रत्येक परिवार को 10 डिसेमिल जमीन व रुपये 2500/- सहायता राशि वालको द्वारा प्रदान की गई है, अतएव आदिवासियों का व्यवस्थान करने वगैर खनन कार्य प्रारंभ करने जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

एड्स नियंत्रण हेतु ग्राम राशि का एन. जी. ओ. को आवंटन

19. (क्र. 30) श्री देवजी भाई पटेल : क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में एड्स नियंत्रण हेतु पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता के लिए किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि केन्द्र शासन एवं अन्य एजेंसियों से प्राप्त हुई है ? (ख) कंडिका "क" की राशि में से क्या एन. जी. ओ. को भी कार्य आवंटित कर राशि दी गई ? अगर हां, तो कितन-कितने और कितनी-कितनी राशि ? (ग) कंडिका "ख" के एन. जी. ओ. का चयन का आधार क्या है ? (घ) कंडिका "क" के अनुसार ग्राम राशि में से कितनी राशि खर्च की गई है ? जिलेवार बतावे.

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति वांघी) : (क)

वित्तीय वर्ष	मद	ग्राम राशि	प्रदायकर्ता
2005-06	परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान	79.50 लाख	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), नई-दिल्ली,
2006-07	निरंक	निरंक	निरंक

(ख) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) + संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

प्रदेश में किसानों को प्रदत्त सिंचाई पम्प कनेक्शन

20. (क्र. 201) डॉ. शक्राजीत नाथक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 मार्च, 2004 की स्थिति में प्रदेश में कुल कितने सिंचाई पम्प जिलेवार पंजीकृत थे ? (ख) वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 में वर्षवार, जिलेवार कितने-कितने किसानों के सिंचाई पम्पों को ऊर्जीकृत किया गया ? ऊर्जीकरण के लिये कितने-कितने प्रकरण लंबित हैं ? तथा 31 मार्च 2007 तक कितने पम्पों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य निर्धारित है ? (ग) कृषि सिंचाई पम्पों के ऊर्जीकरण के लिये जिलेवार वर्ष 2007-08 का लक्ष्य क्या है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) 31 मार्च, 2004 की स्थिति में प्रदेश में कुल 96773 सिंचाई पम्प कनेक्शन विद्यमान थे. जिलेवार संख्या ++ संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ख) प्रस्तापन अवधि में वर्षवार एवं जिलेवार ऊर्जीकृत किये गये पम्पों की संख्या एवं दिनांक 31-01-2007 की स्थिति में ऊर्जीकरण हेतु औपचारितापूर्ण लंबित प्रकरणों की संख्या भी संलग्न परिशिष्ट-1 में दर्शाई गई है. वर्ष 2006-07 में 35000 सिंचाई पम्पों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित है. (ग) वर्ष 2007-08 में 40000 पम्पों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्रस्तावित है. जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण चालू वित्तीय वर्ष के समापन के उपरांत किया जावेगा, अतः जिलेवार लक्ष्य अभी बता पाना संभव नहीं है.

ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने की क्षमताओं का आंकलन

21. (क्र. 111) श्री भूपेश वषेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल या ऊर्जा विभाग ने छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने की क्षमताओं का आंकलन संबंधी कोई अध्ययन पावर प्वाइनेंस कारपोरेशन से कराया है ? (ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत ज्वारे क्या हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. (ख) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की क्षमताओं का आंकलन संबंधी अध्ययन पावर प्वाइनेंस कारपोरेशन (पी. एफ. सी.), नई दिल्ली से वर्ष 2002-03 व 2003-04 में कराया था. मेसर्स पी. एफ. सी. द्वारा अध्ययन प्रतिवेदन दिसंबर 2004 में प्रस्तुत किया गया था. अध्ययन प्रतिवेदन में राज्य में उपलब्ध कोयले के आधार पर

1,16,000 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना 30 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 35,000 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना 100 वर्ष की अवधि के लिए स्थापित किए जाने की संभावना दर्शाई गई है।

विज्ञापनों पर कुल व्यय एवं भुगतान

22. (*क्र. 12) श्री नंद कुमार पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-2006 में छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए जनसंपर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल में विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय शामिल हुआ किया गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रामन सिंह) : वित्तीय वर्ष 2005-2006 में छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों पर दर्शाने के लिए जनसंपर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल में विज्ञापन पर कुल 5 करोड़ 22 लाख 34 हजार 66 रुपये का व्यय किया गया।

शामकीय मेडिकल कालेज जगदलपुर में स्वीकृत पद

23. (*क्र. 208) श्री राजकमल सिंघानिया : क्या राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेडिकल कालेज जगदलपुर का आरम्भ कब हुआ ? (ख) शासन द्वारा मेडिकल कालेज में प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक कितने पद स्वीकृत हैं ?

राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य (डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी) : (क) 28 अगस्त, 2006 को. (ख) 91 पद.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 98) के भाग (ख) की जानकारी]

नवा अंजोर परियोजना के तहत विकासखण्डों के चयन का आधार

● जनसंख्या के आधार पर -

1. अ. ज. जा./ अ. जा. की संख्या एवं साक्षरता प्रतिशत
2. लिंग अनुपात (1991 से 2001 के बीच का अंतर)
3. बच्चों का लिंग अनुपात (1991-2001 का अंतर)

● सामाजिक आधार -

1. निरक्षरता प्रतिशत
2. महिला निरक्षरता प्रतिशत
3. प्राथमिक शाला में दाखिल न होने वाले बच्चों की संख्या
4. मलेरिया बीमारी का प्रकोप

● आर्थिक एवं रोजगार के आधार पर -

1. कृषि मजदूरों की संख्या
2. खनिज, भट्टा एवं संबंधित कार्यों में लगे मजदूरों की संख्या
3. बाल मजदूर की संख्या
4. खेतर/पट्टा भूमि का प्रतिशत
5. सिंचित भूमि का प्रतिशत
6. मंडी/बाजार तक पहुंच
7. विगत वर्षों में पलायन की स्थिति

● विषय-अधिसंरचना के आधार पर

1. पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हुए गांवों की संख्या
2. विकासखण्डों में सड़कों का घनत्व
3. भू-जल की उपलब्धता
4. वर्षा की स्थिति
5. क्षेत्र में पेयजल योजना की स्थिति
6. जिला मुख्यालय/शहर से दूरी
7. संचार के साधन एवं आवागमन की व्यवस्था

परिशिष्ट “दो”

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 266) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

01 जनवरी 2006 से 24 जनवरी 2007 की अवधि में कवर्धा एवं जांजगीर चांपा जिलों के ऐसे ग्रामों, जहां के अधिकांश उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण संपूर्ण गांव की बिजली काट दी गई है, की जिलेवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम	बकाया राशि (रु. में)	ग्राम के उपभोक्ताओं की बैठक लेने/उन्हें समझाईश देने की दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कवर्धा	पण्डरिया	1 सीतापार	109742	18-11-2006
			2 सोठा	353177	16-11-2006
			3 कारीमाटी	142195	20-11-2006
			4 डोगरिया	422315	13-11-2006
			5 मोहतरा खुर्द	435104	17-11-2006
			6 रमतला	440620	23-11-2006
			7 दशरंगपुर	136012	28-11-2006
			8 बिझौरी	5576	10-12-2006
			9 खैरडोंगरी	34722	11-12-2006
			10 मदनपुर	64812	06-12-2006
			11 अमरपुर	64907	07-12-2006
			12 झिंगरडोंगरी	12617	07-12-2006
			13 मझोलीखन	21961	07-12-2006
			14 टकटोइया	34445	10-12-2006
			15 भोमटोला	20981	15-12-2006
			16 भीरनबार	4760	11-12-2006
			17 उतका	28687	10-12-2006
			18 अमलडीह	70967	10-12-2006
			19 अमेरा	46365	15-12-2006
			20 सिमरहा	26130	17-12-2006
			21 सिंगपुर	39211	15-12-2006
			22 पोलामी	17512	18-12-2006
			23 देवपुरा	104868	11-12-2006
			24 झिरियाखुर्द	85740	14-12-2006
			25 भगतपुर	22778	14-12-2006
			26 बिजड़ोला	23066	13-12-2006
			27 बिनौरी	1640	11-12-2006
			28 बीरमपुर	20222	15-12-2006
			29 पुतकीखुर्द	12550	12-12-2006
			30 सिरमाडबरी	118131	17-12-2006
			31 चारभाठा बस्ती	110468	17-12-2006
		कवर्धा	32 लखनपुर	455594	18-11-2006
		सहसपुर लोहारा	33 पेलपार	37000	15-11-2006

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2.	जाँजगीर-चांथा	मालखरोदा	1	बजरीगांव	568330	05-10-2006
			2	भदौरा	191820	07-12-2006
			3	भदौरा	199148	24-11-2006
			4	गोरखापाली	150215	13-12-2006
		सक्ती	5	घोपरा	71108	26-12-2006
		डभरा	6	राधापुर	151604	05-12-2006
			7	बिरहाभाठा	134085	03-12-2006
			8	खोरसिया	107224	05-12-2006
			9	पलमदा	89399	03-12-2006
			10	हुमरपाली	261031	10-10-2006
			11	कोमो	108544	09-10-2006
			12	बांधापाली	157084	07-10-2006
			13	केकराभाठा	196772	06-10-2006
			14	उज्जर्पिठा	150530	07-10-2006
			15	सराइपाली (चेचंग)	134352	13-09-2006

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 29) के भाग (ख) की जानकारी]

विगत दो वर्षों में इलेक्ट्रानिक मीटरों के क्रय हेतु जारी आदेशों का विवरण

क्र. (1)	फर्म का नाम (मेसर्स) (2)	आदेश क्रमांक एवं दिनांक (3)	संख्या (4)	दर (रु.) (5)
मीटर का प्रकार : एच. टी. ट्रांसफार्मर मीटर				
1.	सेक्योर मीटर लि., उदयपुर	1043 दि. 12-05-05	1414	7151
2.	एल. एंड टी. लि., मुंबई	1042 दि. 12-05-05	942	7151
कुल संख्या			2356	
मीटर का प्रकार : एल. टी. सी. टी. मीटर 100/5 एम्पीयर				
1.	सेक्योर मीटर लि., उदयपुर	1041 दि. 10-05-05	15268	5842
2.	एल. एंड टी. लि., मुंबई	1040 दि. 10-05-05	22903	5842
कुल संख्या			38171	
मीटर का प्रकार : तीन फेस निम्न दाब मीटर 20-100 एम्पीयर				
1.	सेक्योर मीटर लि., उदयपुर	1074 दि. 04-06-05	10753	6121
2.	एल. एंड टी. लि., मुंबई	1073 दि. 04-06-05	7169	6121
कुल संख्या			17922	
मीटर का प्रकार : तीन फेस निम्न दाब मीटर 10-40 एम्पीयर				
1.	जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रानिक लि., जयपुर	1124 दि. 05-07-05	34750	2469
2.	जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रानिक लि., जयपुर	1241 दि. 17-02-06	8688	2469
3.	टी. टी. एल. लि., नोयडा	1122 दि. 05-07-05	20850	2469
4.	टी. टी. एल. लि., नोयडा	1242 दि. 17-02-06	5212	2469
कुल संख्या			69500	
मीटर का प्रकार : एक फेस निम्न दाब मीटर 5-30 एम्पीयर				
1.	एमको लि., ठाणे	1121 दि. 05-07-05	3,00,000	748
2.	एमको लि., ठाणे	1282 दि. 03-07-06	2,40,000	748
3.	जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रानिक लि., जयपुर	1124 दि. 05-07-05	1,80,000	748
4.	जीनस ओवरसीज इलेक्ट्रानिक लि., जयपुर	1286 दि. 05-07-06	1,44,000	748
5.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि., रायपुर	1123 दि. 05-07-05	1,20,000	748
कुल संख्या			9.84,000	

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क. 193) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

विभाग/ध्यक्ष (1)	राजपत्रित (2)	अराजपत्रित (3)	परबीक्षा पर (4)	रिक्त पद (5)
संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	2440	निरंक	-	732
संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी.	649	73	10	244
संचालक, चिकित्सा शिक्षा	57	-	-	17

परिशिष्ट “पांच”

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 88) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में 25 जनवरी, 2007 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

क्र.	जिले का नाम	25 जनवरी, 07 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि (राशि रु. लाख में)
(1)	(2)	(3)
1.	बस्तर	3339.00
2.	बिलासपुर	5404.95
3.	दन्तेवाड़ा	2678.18
4.	धमतरी	4376.38
5.	जशपुर	4587.51
6.	कांकेर	4520.00
7.	कोरिया	2828.52
8.	रायगढ़	3621.82
9.	राजनांदगांव	4235.58
10.	सरगुजा	9493.00
11.	कबीरधाम	3374.80
योग		48459.74

प्रपत्र "ब"

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2007 तक लोगों को काम दिये जाने की खिलेवार एवं माहवार संख्या

क्र.	जिले का नाम	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी (25 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	बस्तर	20000	27932	49241	72415	74422	67252	59510	61473	65393	40964
2.	बिलासपुर	38438	40814	40814	61359	91239	91239	79141	85933	110735	140208
3.	दन्तेवाड़ा	33134	44147	52740	52740	56076	123059	43064	45614	62615	20300
4.	धमतरी	15197	33293	52301	74496	75836	90100	63636	65358	66588	38847
5.	जशपुर	12315	37553	40949	65594	69094	73023	66643	68933	72505	93631
6.	झाँसे	26993	38384	48329	63337	84337	84337	59842	77714	89642	78900
7.	कोरिया	10570	24995	40660	58220	73558	73997	42893	44283	46436	31396
8.	रायगढ़	22963	33297	39959	66209	92103	98705	36374	36374	62215	15949
9.	राजनांदगांव	31920	82822	134639	163081	166358	173451	78160	85265	87938	68326
10.	सरगुजा	81850	91830	103260	240863	240863	271118	109007	113069	126811	154238
11.	कबीरधाम	35830	63150	73265	81757	98163	124308	61979	70403	73139	96005
योग		328610	518217	676157	1000071	1122049	1270589	700249	754419	864017	778764

प्रपत्र "स"

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत बनाए गये जाब कार्ड की जिलेवार जानकारी

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	जाब कार्ड (3)
1.	बस्तर	196715
2.	बिलासपुर	224437
3.	दन्तेवाड़ा	128342
4.	धमतरी	107692
5.	जशपुर	136969
6.	कांकेर	118598
7.	कोरिया	75818
8.	रायगढ़	197786
9.	राजनांदगांव	188258
10.	सरगुजा	328656
11.	कबीरधाम	111787
योग		1815058

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 09 (अ. 200) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में 31 जनवरी 2007 की स्थिति में विद्यमान कुल एक बत्ती (बी. पी. एल.) कनेक्शनों एवं उनमें से मीटर वाले कनेक्शनों की भिलेवार संख्या

क्र.	जिला	31-01-2007 की स्थिति में विद्यमान कनेक्शनों की कुल संख्या	कॉलम 3 में से कनेक्शनों की संख्या, जिन पर मीटर लगाये जा चुके हैं
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	117468	33002
2.	महामुन्द	64746	20988
3.	धमतरी	35204	18082
4.	दुर्ग	90221	29958
5.	राजनंदगांव	83251	31143
6.	कावर्धा	33587	5616
7.	बस्तर	56757	18848
8.	कच्छेर	37319	9321
9.	देतेवाड़ा	32032	15773
10.	विलासपुर	79386	23176
11.	जांजगीर-पांचग	58561	7374
12.	कोरबा	19268	2301
13.	रायगढ़	63478	7274
14.	जशपुर नगर	16988	2169
15.	सरगुजा	48342	11824
16.	कोरिया	8646	2497
कुल		845254	239346

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क. 85) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक (1)	विकास खण्ड (2)	संस्था (3)	स्वीकृत पद (4)	स्वीकृत (5)
1.	साजा	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, साजा	खंड चिकित्सा अधिकारी	1
2.			विशेषज्ञ मेडिसीन	1
3.			विशेषज्ञ सर्जरी	1
4.			विशेषज्ञ स्त्री रोग	1
5.			विशेषज्ञ शिशु रोग	1
6.			पो. जी. एम. ओ. निश्चेतना	1
7.			सहायक शाल्य चिकित्सक	2
8.			नर्सिंग सिस्टर	1
9.			बी. ई. ई.	1
10.			लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	1
11.			संगणक/कम्प्यूटर टाटा	1
12.			सहायक ग्रेड-3	1
13.			स्टॉफ नर्स	3
14.			लेब टेक्निशियन	1
15.			एल. एच. व्ही.	2
16.			एम. पी. डब्ल्यू (महिला)	1
17.			पर्यवेक्षक (पुरुष)	1
18.			नॉन मेडिकल सुपरवाइजर	1
19.			एम. पी. डब्ल्यू (पुरुष)	1
20.			फार्मसिस्ट ग्रेड-2 कम स्टोरकीपर	2
21.			रेडियो ग्राफर	1
22.			ड्रेसर ग्रेड-1	1
23.			ड्रेसर ग्रेड-2	1
24.			वाहन चालक	2
25.			वाईब्याय	2
26.			चतुर्थ श्रेणी	2
27.			धोबी	1
28.			ओटी अटेंडेंट	1
29.			बोकीदार	1
30.			आया	1
31.			स्वीपर	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धान खमहरिया, परपोड़ी, खंडसरा (प्रत्येक केंद्र के लिए).			चिकित्सा अधिकारी	2
			फार्मसिस्ट ग्रेड-2	1
			लेब टेक्निशियन	1
			ड्रेसर ग्रेड-1	1
			नेत्र सहायक	1
			एम. पी. डब्ल्यू (महिला)	1
			स्वीपर	1
			आया	1
			भृत्य/वाईब्याय	1

परिशिष्ट "आठ"

[तत्संकेतित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 212) के भाग (ख) की जानकारी]

विधान सभा जरहागांव के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 में आवंटित इंदिरा आवासों की ग्राम पंचायतवार सूची

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आवंटित आवासों की संख्या			
				नवीन आवंटन	पूर्व आवंटित आवासों का उन्मथन	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	जरहागांव	मुंगेली	बरेला	4	1	5	
2.			भबरी	3	1	4	
3.			पदमपुर	3	1	4	
4.			विरगांव	2	1	3	
5.			खमहरिया	2	1	3	
6.			फरहदा	2	1	3	
7.			जरहागांव	4	1	5	
8.			फुलवारी	2	1	3	
9.			केशरुवाडीह	3	1	4	
10.			दाऊकापा	4	2	6	
11.			छत्तीना	2	1	3	
12.			ठकुरीकापा	2	1	3	
13.			सेमरचुआ	3	1	4	
14.			झरपुरीखुर्द	2	1	3	
15.			धनगांवगोसाई	3	1	4	
16.			दशरंगपुर	3	2	5	
17.			खाम्हीकुर्मी	3	1	4	
18.			कुआगांव	2	1	3	
19.			सोदर	3	2	5	
20.			भठलीकला	2	1	3	
21.			कोदवाबानी	3	2	5	
22.			धरमपुरा	2	2	4	
23.			लिम्हा	2	1	3	
24.			कोना	3	1	4	
25.			लोहड़िया	2	0	2	
26.			बरदुली	2	1	3	
27.			कोसमा	3	2	5	
28.			सुरी	3	1	4	
29.			रोहराखुर्द	3	1	4	
30.			चारभाटा	2	1	3	
योग				30	79	35	114
1.	जरहागांव	पथरिया	हथनीकला	3	1	4	
2.			डोठमा	1	0	1	
3.			भटगांव	1	1	2	
4.			बछेरा	2	0	2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.			सोनपुरी	1	0	1
6.			जगताकापा	2	0	2
7.			डाङ्गाव	1	1	2
8.			गोइन्द्री	3	1	4
9.			गोइन्द्रा	2	1	3
10.			बरछा	2	1	3
11.			लौया	3	1	4
12.			कंचनपुर	2	1	3
13.			कागबुडवा	2	1	3
14.			पुछेली	2	1	3
15.			जेवरा	2	1	3
16.			बरदुली	2	0	2
17.			अमलीकापा	2	0	2
18.			तरकीडीह	2	0	2
19.			भिलाई	2	1	3
20.			अमोरा	3	1	4
21.			रौनाकापा	2	1	3
22.			कुकुसदा	3	1	4
23.			जुनबानी	2	1	3
24.			मुण्डादेवरी	2	1	3
25.			जरेली	2	1	3
26.			पेटूलकापा	1	0	1
27.			पथरिया	5	1	6
28.			भरेवा	2	1	3
29.			कपुवा	2	0	2
30.			जोता	2	1	3
31.			पथरगढ़ी	2	1	3
32.			सिलहरा	2	1	3
33.			खपरी	3	1	4
34.			छिन्दभोग	2	1	3
35.			गंगहारी	2	1	3
36.			सोदी म	2	0	2
37.			बेलपुरी	2	0	2
38.			लमती	2	0	2
39.			पुढेली	1	0	1
40.			कलारजेवरा	2	1	3
41.			डिघोरा	1	0	1
42.			रोहराकला	2	1	3
43.			सिलदहा	2	1	3
44.			पडिवाईन	2	1	3
45.			झुलनाकला	2	1	3
46.			धरदेई	2	1	3
47.			बंदली	2	1	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48.			बदरा डा	2	0	2
49.			परसिया	1	1	2
		योग	49	99	34	133
1.	जरहागांव	लोरमी	राजपुर	2	1	3
2.			लछनपुर	2	0	2
3.			परसाकापा	2	1	3
4.			डिडोल	2	1	3
5.			बिजराकापाखुर्द	2	1	3
6.			नवागांव बेंकट	2	1	3
7.			पेन्डीतालाव एन	2	1	3
8.			लालपुरकला	2	1	3
9.			बैगाकापा	2	1	3
10.			धौबधट्टी	2	1	3
11.			नारायणपुर	3	1	4
12.			औराबांधा	2	1	3
13.			मोहतरा तेली	2	1	3
14.			बिचारपुर	2	0	2
15.			कुम्हरीली	2	1	3
16.			कोतरी	2	1	3
17.			पीपरखुटा	2	1	3
18.			सेमरसल	3	1	4
19.			तेलियापुरान	2	1	3
20.			पीपरखुटी	2	1	3
21.			खेकतरा	2	0	2
22.			सेमरिया	2	1	3
23.			मोहतरा कुर्मी	3	1	4
24.			लालपुरधाना	2	1	3
25.			बांधा	3	1	4
26.			चोईरपारा	2	0	2
27.			गुरुवाईनइवरी	2	0	2
28.			देवरहट	3	1	4
29.			झाफल	3	1	4
30.			खेली	0	0	0
31.			पैजनिया	2	1	3
32.			सुकली	3	1	4
33.			कुधुरताल	3	1	4
34.			सांवतपुर	2	1	3
35.			बिजराकापाकला	2	1	3
36.			मसना	2	1	3
		योग	36	78	30	108
		महायोग	115	256	99	355

परिशिष्ट "बी"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 42) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	खनिपट्टेधारियों का नाम एवं पता	तहसील/ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	स्वीकृत अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मे. बागमार बाक्ससाइट इंडस्ट्रीज केशकाल जिला बस्तर (छ.ग.).	कांकेर बुधियारमारी	50/2-3-4	7.00	14-10-2000 से 13-10-2030.
2.	मे. बागमार बाक्ससाइट इंडस्ट्रीज केशकाल जिला बस्तर (छ.ग.).	कांकेर बुधियारमारी	70, 71	3.02	14-10-2000 से 13-10-2030.
3.	मे. केशकाल जी. एन. इंडिया माइंस एंड मिनरल्स सिविल लाईन रायपुर (छ. ग.).	कांकेर बुधियारमारी	12	3.205	16-2-99 से 15-02-2019.
4.	छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	केशकाल कुदरवाही (बस्तर)	1/2 एवं	20.00	*17-11-2006 से 16-11-2026.
5.	छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	केशकाल कुदरवाही (बस्तर)	5/1	7.28	*17-11-2006 से 16-11-2026.

* पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अपेक्षित अनुमतियां प्रस्तुत न कर पाने के कारण कलेक्टर द्वारा भू-प्रवेश एवं कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है.

प्रपत्र "ब"

क्र.	अवैध उत्खननकर्ता का नाम एवं पता	अवैध उत्खनन स्थल का नाम	उत्खनित अवैध खनिज की मात्रा (मै. टन में)	प्रकरण क्रमांक	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मे. केशकाल जी. एन. इंडिया माईंस एंड मिनरल्स सिविल लाईन रायपुर.	बुधियारमारी	1131.00	5/अ-67 2005-06	कलेक्टर, कांकेर के न्यायालय में विचाराधीन.
2.	मे. बागमर बाक्सहाइट इंडस्ट्रीज केशकाल जिला बस्तर (छ.प.).	बुधियारमारी	48.00	4/अ-67 2005-06	कलेक्टर, कांकेर के न्यायालय में विचाराधीन.

परिशिष्ट "दस"

[तारकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 54) के भाग (ख) की जानकारी]

चांपा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में 31 जनवरी 2007 तक स्थापित किये गये वितरण ट्रांसफार्मरों के स्थान एवं क्षमता की जानकारी

क्र. (1)	ट्रांसफार्मर का स्थापना स्थल (2)	ट्रांसफार्मर की क्षमता (के. व्ही. ए. में) (3)
1.	ग्राम अमोरा	63
2.	बरमबाबा मोहल्ला, जांजगीर	100
3.	वार्ड-15, जांजगीर	100
4.	कलेक्ट्रेट आफिस, जांजगीर	100
5.	ग्राम महंत	100
6.	धाना चौक, चांपा	63
7.	रामबांधा तालाब, चांपा	63
8.	ग्राम भैरवा	63
9.	कोसमंदा रोड, ग्राम सिवनी	63
10.	हरिजन मोहल्ला, ग्राम धुरकोट	63
11.	ग्राम अफरीद	63
12.	ग्राम बहेराडीह, सिवनी	63
13.	पौधमपुर रोड, ग्राम पिसीद	63
14.	ग्राम खोखरा	63
15.	भांडापारा, ग्राम खोखरा	63
16.	जगदल्लावस्ती, चांपा	63
17.	चरननगर रोड, चांपा	63
18.	ग्राम दारंग	63
19.	रहसबेड़ा मोहल्ला, चांपा	100
20.	हनुमान चौक, चांपा	100
21.	खैरवारपारा, ग्राम सिवनी	100
22.	अमहल्लाब, ग्राम सिवनी	100
23.	हटरीबाजार, जांजगीर	100
24.	अकलतरा रोड, जांजगीर	100
25.	नगर पालिका, चांपा	100
26.	भांडापारा, जांजगीर	100
27.	बाबाभाट मोहल्ला, चांपा	100
28.	बस स्टैण्ड, ग्राम कोसमंदा	100
29.	खडपडीपारा, जांजगीर	100
30.	भेंगापारा, जांजगीर	100
31.	मेनरोड, मैला	100
32.	भोजपुर, पम्प हाऊस के पास, चांपा	100
33.	फिल्टर प्लांट, चांपा	100
34.	बेलदारपारा, चांपा	100
35.	कोलाईगली, चांपा	100
36.	दुण्ड गार्डन, चांपा	100
37.	सिंधी कॉलोनी, चांपा	100
38.	चितरपारा, जांजगीर	100
39.	रानीरोड, जांजगीर	100

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 267) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बालको को स्वीकृत खनिपट्टा हेतु अधिग्रहित की गई भूमि का विवरण

क्र.	ग्राम	भूमि स्वामियों का वर्गीकरण (हेक्टर में)				अधिग्रहण का दिनांक
		बैगा	गोंड	अन्य	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सेमसाटा	4.026	33.306	-	37.332	31-8-2001
2.	मुंडादादर	26.977	-	-	26.977	31-8-2001
3.	रब्दा	2.189	63.407	-	65.596	31-8-2001
4.	केसमदा	105.499	17.446	62.917	185.862	30-8-2003
योग		138.691	114.159	62.917	315.767	

निम्न भूमि के संबंध में खनिपट्टा में लगाई गई शर्तें

1. ग्रामवासियों के पुनर्वास की पूरी योजना पूर्ण नहीं की जाती तब तक ग्रामवासियों के निस्तार एवं अन्य अधिकारों में कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी,
2. ग्राम के सार्वजनिक स्थल, पूजा स्थल एवं अन्य निर्माण कार्यों से प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई खनन नहीं किया जाएगा,
3. ग्रामवासियों के पूर्ण सहूलियतों के साथ विस्थापित करने का पूरा खर्च आवेदक (बालको) को उठाना होगा,

प्रपत्र "ब"

बालको के स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने हेतु दी गई अनुमति का विवरण

क्र.	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में) जिस पर कार्य करने की अनुमति दी गई है				भू- प्रवेश हेतु अनुमति दिये जाने का दिनांक
	ग्राम का नाम	शासकीय भूमि	निजी भूमि	कुल रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सेमसाटा	14.55	-	31.323	16-12-2003
	रब्दा	16.773	-		
2.	सेमसाटा	-	9.089	12.464	4-8-2006
	रब्दा	-	3.375		
3.	मुंडानादर	58.991	-	106.358	5-10-2006
	केजामरदा	47.367	-		
	योग	137.681	12.464	150.145	

परिशिष्ट "बारह"

[तारकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 30) के भाग (घ) की जानकारी]

प्राप्त राशि

Rs. 79, 50,000

व्यय (खर्च) राशि

Rs. 79, 50,000

जिलेवार खर्च की जानकारी

क्र. (1)	जिलेवार (2)	व्यय (खर्च) राशि (रु.) (3)
1.	रायपुर	4,46,250
2.	राजनांदगांव	3,03,750
3.	बिलासपुर	3,27,500
4.	दुर्ग	3,75,000
5.	जगदलपुर	3,32,500
6.	दंतेवाड़ा	2,61,250
7.	धमतरी	95,000
8.	जांजगीर	2,13,750
9.	जशपुर नगर	1,90,000
10.	कांकेर	1,66,250
11.	कवर्धा	95,000
12.	कोरबा	1,18,750
13.	महासमुंद	1,18,750
14.	अम्बिकापुर	5,41,250
15.	बैकुंठपुर (कोरबा)	1,18,750
16.	रायगढ़	3,03,750
	कुल राशि	40,07,500
17.	मुख्यालय (CGSACS)	39,42,500
	कुल राशि	79,50,000

परिशिष्ट "तेरह"

[तारांकित प्रत्य संख्या 20 (अ. 201) के भाग (क) की जानकारी]

प्रदेश में 31 मार्च 2004 की स्थिति में विद्यमान सिंचाई पम्पों, वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में 31 जनवरी 2007 तक ऊर्जीकृत किये पम्पों की वर्षवार एवं विलेवार संख्या तथा दिनांक 31-01-2007 की स्थिति में ऊर्जीकरण हेतु लंबित प्रकरणों की विलेवार संख्या

20 फरवरी, 20

क्रमांक	जिला	31 मार्च 2004 की स्थिति में विद्यमान पम्प कनेक्शनों की संख्या	वर्षवार ऊर्जीकृत किये गये पम्पों की संख्या		31-01-07 की स्थिति में ऊर्जीकरण हेतु लंबित प्रकरणों / आवेदनों की संख्या	कुल		
			वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	रायपुर	12268	1074	4059	2184	996	393	1389
2.	महामुन्द	4185	556	2345	3147	838	0	838
3.	धमतरी	13448	833	2132	1334	646	450	1096
4.	दुर्ग	26085	2232	5697	2046	379	1367	1746
5.	राजनाशवांव	7435	700	1362	1023	181	416	597
6.	कवोरपाम	3792	1011	2306	939	378	879	1257
7.	बस्तर	2804	302	301	293	59	82	141
8.	कज्जर	1655	333	789	261	189	237	426
9.	दोबाडा	545	32	55	10	7	97	104
10.	बिलसपुर	7744	544	1780	968	906	59	965
11.	जोड़गीर-बांग	4574	256	615	847	270	304	574
12.	कोरका	871	62	60	16	7	25	32
13.	गणद	6490	339	1330	165	407	372	779
14.	जगपुर तथा	302	20	35	0	14	30	44
15.	सगुना	4182	401	611	334	466	593	1059
16.	कोरिया	393	19	33	10	1	18	19
	योग	96773	8714	23510	13577	5744	5322	11066